



TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
CERTIFICATE OF TITLE TO THE PROPERTY

Reg. : Title opinion for the immovable property Commercial Land Survey No. 44/2 Total Area 4500 Sq.ft. (418.04 Sq.mtr.) Situated at Village Shyampura Banswara Teh. Banswara Dist. Banswara (Raj.) of Smt. Girja Devi W/o Shri Devilal Patel & Shri Rishi S/o Shri Devilal Patel Caste Kalal R/o Mohan Colony, Banswara Teh. Banswara Dist. Banswara (Raj.).

I have persued the following documents (mention after each document original and certified copy etc.)

S. N.	Type / Nature of Documents	Date of Execution	No. & Date of Regd.	Weather Original / Certified / Photostat / True Copy	Parties
1	Conversion order No 185-89 (Residential)	25.04.89	-	Certified Copy	Assistant Collector Banswara
2	Site Plan map of Converted Land	-	-	Certified Copy	Assistant Collector Banswara
3	Sale deed No. 619 of Plot Size 45 ft. x 50 ft. in favour of Smt. Girija Patel	16.11.89	06.07.93	Original	Shri Lala Bhil
4	Sale deed No. 621 of Plot Size 45 ft. x 50 ft. in favour of Shri Rishi Patel	16.11.89	06.07.93	Original	Shri Lala Bhil
5	Conversion Order No. 4831 (Commarcial)	17.08.16	-	Original	Nagar Parishad Banswara
6	Construction Permission with Site Plan No. 6899-6900	09.10.16	-	Original	Nagar Parishad Banswara



Raj Kumar Jain

25.4.2017
Contd. 2

(2)

On the basis of the above documents persued by me, I am of the opinion that **Smt. Girja Devi W/o Shri Devilal Patel & Shri Rishi S/o Shri Devilal Patel Caste Kalal R/o Mohan Colony, Banswara Teh. Banswara Dist. Banswara (Raj.)** has absolute, clear and marketable title to the immovable property **Commercial Land Survey No. 44/2 Total Area 4500 Sq.ft. (418.04 Sq.mtr.) Situated at Village Shyampura Banswara Teh. Banswara Dist. Banswara (Raj.)**.

Date : 25.09.2017

Place : Banswara



25.9.2017
(Raj Kumar Jain)

Advocate

Bahubali Colony, Banswara (Raj.)

Raj Kumar Jain
Advocate

521, A Bahubali Colony
Banswara (Raj.) M. 9414101879

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी भू.रू.बाँसवाड़ा

105-89

दिनांक 25/4/89

आदेश:-

राजस्थान भू-राजस्व नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्य प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितकरण नियम 1981 के नियम 10 के तहत श्री

निवासी-श्यामपुरा पुत्र-हेमलाल जाति-जोन
आराजी नम्बर-214 को अपने छूद की छातेदारी भूमि
में से 1000 वर्गज भूमि को कृषि से अकृषि में आवासीय

प्रयोजनार्थ निम्न शर्तों पर रूपान्तरण की स्वीकृति दी जाती है:-
1- प्राथमिक अनुसूचित जाति/जन जाति/सावर्ण जाति का सदस्य है।
प्रस्तावित भूमि जोन नम्बर 11 में आने से पर्यायत्वी
सामान्य दर 3 प्रति वर्गज से 1000 वर्गज
की प्रमाणित है।
काबिल कूल है जो प्राथमिक द्वारा

भूमि पर से छातेदारी अधिकार समाप्त होकर
ना भूमि किसी और से राज्य सरकार में निहित होगी एवं
का लगान रु० 0-26 सम्बन्ध 2045 से कमी की स्वीकृति
जाती है।

3- प्राथमिक रूपान्तरित भूमि का उपयोग यदि कृषि कार्य हेतु ही
हो तो इस अनुषंग में सूचना उसे इस कार्यालय को देनी
होगी।
इस पर तब ही निर्णय होगा जो इस आदेश के जारी

4- रूपान्तरित भूमि पर निर्माण कार्य स्थानीय निकाय/पंचायत
या गाँवपालिका पूर्व स्वीकृति दे ही करना होगा एवं तत्संबंधी
नियम प्रभावी होंगे।

5- प्राथमिक द्वारा निर्माण कार्य रु० 50 फिट
भू.म मार्गाधिकार की छोर कर करना होगा।

6- प्राथमिक द्वारा विकास शुल्क रु० 4000 प्रति वर्गज की
दर रु० 4000 से जमा कोषा करा दिया जायेगा।
लान नम्बर 129 दि० 154-89

7- रूपान्तरण शुल्क एवं अन्य शुल्क कम जमा होने की स्थिति
में आवेदक से बाद में वसूल किया जा सकेगा।

8- प्राथमिक के नाम यह भूमि नगरीय प्रयोजनार्थ ही रूपान्तरित
की गई है, अतः इसके भिन्न प्रयोग में नहीं ली जायेगी।

9- प्राथमिक को शर्तों, नियमों एवं प्रावधानों का पालना करनी होगी।
गया तो इन नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।



दस्तावेज विक्रय - पत्र



प्रथमपक्षा विक्रेता :- लाला पिता श्री हेमला जाति भील आयु 50 वर्ष लगभग
निवासी गांव श्यामपुरा, तहसील बांसवाड़ा, जिला
बांसवाड़ा (राजो)

द्वितीयपक्षा क्रेता :- श्रीमति गिरिजा पटेल पत्नि श्री देवीलाल पटेल जाति
कलाल निवासी बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा
(राजो)

यह कि प्रथमपक्षा विक्रेता के नाम से बाराजी सर्वे नम्बर 8812 वाले मोजा
श्यामपुरा तहसील बांसवाड़ा स्थित मे से 1000 (एक हजार) वर्गज भुमि श्रीमान
सहायक कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी भुमि रूपान्तरण बांसवाड़ा द्वारा आदेश
क्रमांक भू०००।८६।१८-५-८६ को कृषि से अकृषि में आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित
की गयी है। रूपान्तरित शुदा भुमि के प्रथमपक्षा विक्रेता एकमात्र मालिक
व स्वामी हैं तथा प्रथमपक्षा विक्रेता ने रूपान्तरित शुदा भुमि में प्लॉट बनाये
हैं जिन्हें विक्रय करने एवं अन्य प्रकार से अन्तर्लिखित करने के प्रथमपक्षा विक्रेता को
पूर्ण अधिकार हासिल हैं।

यह कि प्रथमपक्षा विक्रेता को अपना साहकारी कर्जा चुकाने एवं अन्य घर
खर्च में रूपयों की आवश्यकता है तथा आय का अन्य कोई साधन नहीं होने से
उक्त रूपान्तरित शुदा भुमि मे से एक प्लॉट 85 बाय 50 फिट कुल क्षेत्रफल 2250
वर्गफिट का प्रथमपक्षा विक्रेता विक्रय कर देना चाहता है। जिसे द्वितीयपक्षा क्रेता



-2-

रुपया ४५०००। - अक्षरे पैतालीस हजार रूपयो की खज मे क्य करने को सहमत हैं।

अतः प्रथमपक्षा विक्रेता ने अपनी राजी खुशी से ठिक होशो हवाश में खबर गवाहान के अपने स्वामित्व व आविपत्य का मुखण्ड साईज ४५ बाय ५० फिट जो कि पूर्व से पश्चिम ४५ फिट लम्बा एवं उत्तर से दक्षिण ५० फिट चौड़ा है व कि मोजा श्यामपुरा तहसील बांसवाड़ा स्थित को अपने मालकाना स्वत्व एवं अधिकार सहित आज रोज रूपया ४५०००। - अक्षरे पैतालीस हजार रूपयो में द्वितीयपक्षा क्रेता श्रीमति गिरिजा पटेल पत्नि श्री देवीलाल पटेल निवासी बांसवाड़ा को कतई विक्रय कर दिया है खम प्रतिफल में विक्रय मुल्य रूपया ४५०००। - अक्षरे पैतालीस हजार रूपया प्रथमपक्षा विक्रेता ने गिनकर नकद द्वितीयपक्षा क्रेता से आज रोज पुरी एकम एक मुश्त खबर गवाहान के खबर प्राप्त कर ली है। जिसकी पृथक रसीद की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में विक्रय मुल्य नहीं मिलने या कम मिलने का प्रथमपक्षा विक्रेता कोई बहाना करे तो वह नाजायज रहेगा।

उपरिस्त विक्रय शुदा प्लोट की भुमि ४५ बाय ५० फिट व कि मोजा श्यामपुरा तहसील बांसवाड़ा स्थित का रिक्त कब्जा प्रथमपक्षा विक्रेता ने मोके पर जाकर द्वितीयपक्षा क्रेता श्रीमति गिरिजा पटेल पत्नि श्री देवीलाल पटेल जाति कलाल निवासी बांसवाड़ा को सुपर्द कर अपने समान ही मालिक एवं स्वामी बना दिया है एवं प्रथमपक्षा विक्रेता के समस्त मालकाना स्वत्व एवं अधिकार आज दिनांक से विधिवत् रूप से द्वितीयपक्षा क्रेता में निहित हो गये हैं। अब क्रेता बाँर



--3--

वारिसान जिस प्रकार चाहे उक्त प्लॉट का उपयोग व उपभोग करे। उसमें प्रथमपक्षा विक्रेता का कोई उजर काबिल समायत नहीं होगा।

उपरोक्त विक्रय शुदा प्लॉट की भूमि पर प्रथमपक्षा विक्रेता ने किसी का निजी, सरकारी या बैंक का कण प्राप्त नहीं किया है। प्रथमपक्षा विक्रेता ने उक्त प्लॉट को आज से पूर्व अन्य किसी को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है। विक्रय शुदा प्लॉट की भूमि समस्त प्रकार के भारों एवं अधिभारी से मुक्त होकर शुद्ध व पवित्र है।

उपरोक्त विक्रय शुदा प्लॉट की भूमि में प्रथमपक्षा विक्रेता का अन्य कोई सांझी, अंश, हिस्सेदार या दावेदार नहीं है फिर भी प्रथमपक्षा विक्रेता के स्वत्व एवं अधिकार की किसी बृटि के कारण या किसी की दावेदारी के कारण विक्रय शुदा प्लॉट की भूमि सम्पूर्ण या उसका कोई हिस्सा द्वितीयपक्षा क्रेता के आधिपत्य से निकल जावे या नष्ट हो जावे अथवा क्रेता को आज से पूर्व का कोई कण बकाया निकलने पर जदा कर हानि उठानी पड़े तो द्वितीयपक्षा क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा कि वे कानूनी कार्यवाही कर तात्कालिक बाजार भाव से कुल विक्रय मूल्य सव्यय प्रथमपक्षा विक्रेता से या उनकी अन्य चल व अवल सम्पत्ति को कुर्क व निलाम कराकर वसूल कर लेवे। उसमें प्रथमपक्षा विक्रेता का कोई उजर काबिल समायत नहीं होगा।

उपरोक्त विक्रय शुदा प्लॉट की भूमि पर आज दिनांक से प्रथमपक्षा विक्रेता विक्रेता का, वारिसान उनके, दावेदारान, वंश प्रतिनिक्रियों का कोई भी सम्बन्ध

07/08/10
28/08/10

स. अ. अ. अ.

7



-५-

उक्त प्लॉट की बाजार-मूल्य से किमत रूपया ४५०००। - अक्षर रूपया पैंतालीस हजार रूपया हैं किन्तु दस्तावेज स्टाम्प किमत ५६०००। - रूपया हजार रूपया होने से यह दस्तावेज स्टाम्प किमत रूपया ६३०५-०० पर निष्पादित किया जाता है।

अतः यह विक्रय-पत्र प्रथमपक्षा विक्रेता ने अपनी राजी खुशी से ठिक होशो हवाश में बिना किसी दबाव के खबर गवाहान के विक्रय मूल्य प्राप्त कर, रिक्त कब्जा सुपुर्द कर खम इस विक्रय-पत्र की समस्त ईबारत को सुन, समझ व स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी से द्वितीयपक्षा जेता श्रीमति गिरिजा पटेल पत्नि श्री देवीलाल पटेल जाति कलाल निवासी बांसवाड़ा, तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजो) के हकमें तहरिर व तखमील कर दिया है। सो सही सनद रहे। समय पर काम लावे। यह विक्रय पत्र स्टाम्प नम्बर १८६२-१८६३-१८६४-१८६५-१८६६ दिनांक १६-१०-८६ कुल रूपया ६३०५-०० पर लिखा गया है।

स्थान- बांसवाड़ा।

दिनांक : २५/४/८९

गवाह १- *[Signature]*
(M. C. Shrivastava)

२- नि. वेस्ता ८६
जियणा
आ शामपुरा

Drafted by me
[Signature] २५/४

(विक्रेता)



1015794

Case No. ८०. ५७/९८ मे
सिद्धान्त किया गया।

[Signature]
२५/४/८९
नय पंजीयक: बांसवाड़ा

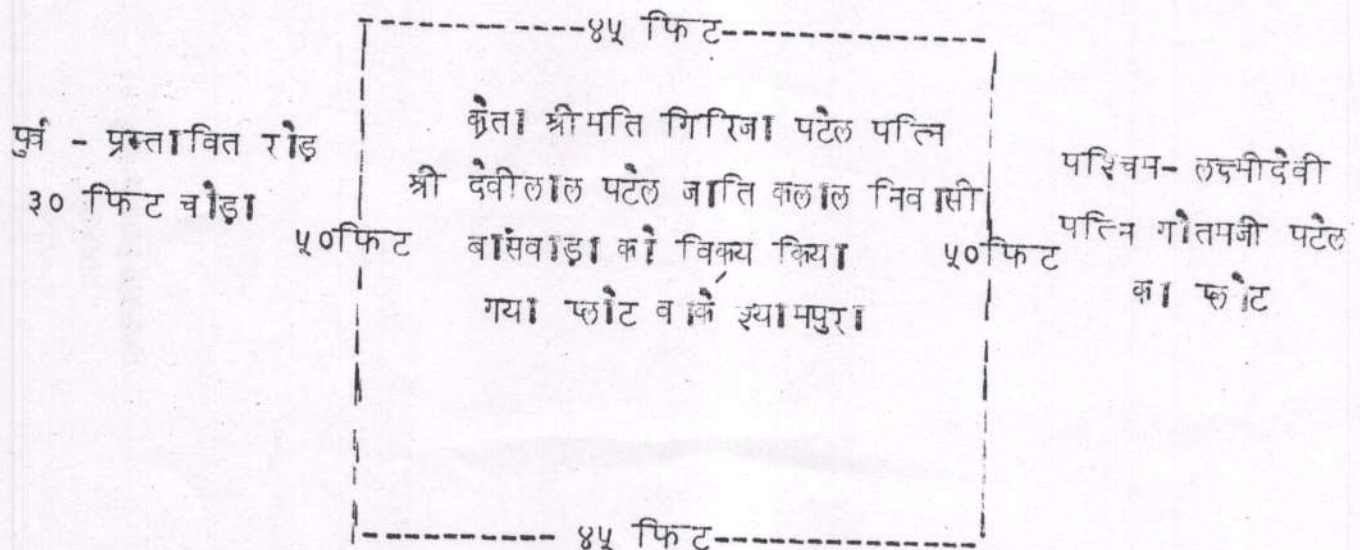


-४२-

नहीं रहा न भविष्य में रहेगा। अब उक्त प्लॉट से प्रथमपक्षा विक्रेता का कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा।

उक्त विक्रय शुदा प्लॉट का नजरी नक्शा निम्नानुसार है -

उत्तर- रोड



दक्षिण - रिशी पटेल का प्लॉट

उपरोक्त विक्रयशुदा प्लॉट उदयपुर में रोड से करिवन ५० फिट दूर है। उदयपुर रोड पर स्थित चूंगीनाका से करिवन २ किलोमीटर दूर है। नल, लाईट की कोई सुविधा नहीं है। सदर बाजार से करिवन ४ किलोमीटर दूर है। आसपास औद्योगिक जंत्र नहीं है व आबादी भी नहीं है चारों तरफ कृषि भूमि है।

100/10/1054



5/11

पथमपक्ष विक्रेता के

पथमपक्ष विक्रेता:- माता विना देवता माता भीत आयु 50 वर्ष काशम निवासी
राधिकापुरा, जिला बांताबाड़ा, जिला बांताबाड़ा (राज.)

द्वितीयपक्ष विक्रेता:- श्री रमेश प्रेम भु. जी देवता जिला बांताबाड़ा निवासी
बांताबाड़ा, जिला बांताबाड़ा (राज.)

यह कि पथमपक्ष विक्रेता के माँक से आराजी तर्ज नम्बर 4412 बांके मोना
काशमपुरा तहसील बांताबाड़ा में ते 1000 रु. एगारह वर्ग गज भूमि ब्रीवान् सहायक
कलेक्टर एवं वाधिकृत अधिकारी भूमि स्वान्तरण बांताबाड़ा द्वारा आदेश क्रमांक
भू080/89/18.5.89 की वृषि से अकृषि में आयातीय पयोक्तार्थ स्वान्तरित की गई
हैं। स्वान्तरित बांताबाड़ा भूमि के पथमपक्ष विक्रेता एक मात्र मातृक व स्वामी है तथा
पथमपक्ष विक्रेता ने स्वान्तरित बांताबाड़ा भूमि में प्लोट बनाये हैं जिन्हे विक्रय करने एवं
अन्य प्रकार से अन्तरित करने के पथमपक्ष विक्रेता को पूर्ण अधिकार हासिल हैं।

यह कि पथमपक्ष विक्रेता को अपना साहकारी कार्या चुकाने एवं अन्य घर खर्च में
स्वयों की आकापकता है तथा आय का अन्य कोई साधन- नहीं होने से उक्त स्वा-
न्तरित बांताबाड़ा भूमि से ते एक प्लोट 45 बाय 50 फिट कुल क्षेत्रफल 2250 वर्गफिट का
पथमपक्ष विक्रेता विक्रय कर देना चाहता है। जिसे द्वितीय पक्ष केता स्वयं 35000/-
अधरे पेतीत एगार स्वयों की स्वयं में क्य करने को तय्यत हैं।

-2-

यह कि पथमपक्ष विक्रेता को अपना साहकारी कार्या चुकाने एवं अन्य घर खर्च में
स्वयों की आकापकता है तथा आय का अन्य कोई साधन- नहीं होने से उक्त स्वा-
न्तरित बांताबाड़ा भूमि से ते एक प्लोट 45 बाय 50 फिट कुल क्षेत्रफल 2250 वर्गफिट का
पथमपक्ष विक्रेता विक्रय कर देना चाहता है। जिसे द्वितीय पक्ष केता स्वयं 35000/-
अधरे पेतीत एगार स्वयों की स्वयं में क्य करने को तय्यत हैं।



-2-

अतः प्रथमपक्ष विक्केता ने अपनी राजी खुशी ठीक दोश हवात में स्वतः गवाहान के अपने स्वामित्व व आधिकार्य का भुखण्ड ताईज 45 बाय 50 फिट जो कि पूर्व से पश्चिम 45 फिट लम्बा एवं उत्तर से दक्षिण 50 फिट चौड़ा है बाके बीजा श्यामपुरा तहसील बांतवाड़ा स्थित को अपने मालकाना स्वत्व एवं अधिकार सहित आज रोज स्या 35000/- अक्षरे पैंतीस हजार रूप्यो में द्वितीयपक्ष क्रेता श्री रिषी पटेल पुत्र श्री देवीलाल पटेल निवासी बांतवाड़ा को कतई विक्रय कर दिया है एवं प्रतिफल में विक्रय मूल्य स्या 35000/- अक्षरे पैंतीस हजार रूपया प्रथमपक्ष विक्केता ने गिनकर तब द्वितीयपक्ष क्रेता से आज रोज पुरी रकम एक मुगत स्वतः गवाहान के स्वतः प्राप्त कर ली है। जिसकी प्रथम रस्तीद की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में विक्रय मूल्य नहीं मिलने या कम मिलने का प्रथमपक्ष विक्केता कोई बहाना करे तो वह नाभायज रहेगा।

उपरोक्त विक्रय शूदा प्लोट की भूमि 45 बाय 50 फिट बाके बीजा श्यामपुरा तहसील बांतवाड़ा स्थित का रिक्त कब्जा प्रथमपक्ष विक्केता ने मौके पर जाकर द्वितीयपक्ष क्रेता श्री रिषी पटेल पुत्र श्री देवीलाल पटेल जाति कलाल निवासी बांतवाड़ा को सुर्द कर अपने समान ही मालिक एवं स्वामी बना दिया है एवं प्रथमपक्ष विक्केता के समस्त - मालकाना स्वत्व एवं अधिकार आज दिनांक से विधिवत स्य से द्वितीयपक्ष क्रेता में निहित हो गये हैं। अब क्रेता ओर उसके वास्तमान जिस प्रकार बाके उक्त प्लोट का उपयोग व उपयोग करें। उसमें प्रथमपक्ष विक्केता का कोई उजर काबिल समायत नहीं होगा।

उपरोक्त विक्रय शूदा प्लोट की भूमि पर प्रथमपक्ष विक्केता ने किसी का निजी, सरकारी या बैंक का ऋण प्राप्त नहीं किया है। प्रथमपक्ष विक्केता ने उक्त प्लोट को आज से पूर्व अन्य किसी को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है। विक्रय शूदा प्लोट की भूमि समस्त प्रकार के भारो, एवं अधिभारों से मुक्त होकर शूद व पश्चिम है

प्रथमपक्ष विक्केता
श्री देवीलाल पटेल

द्वितीयपक्ष क्रेता
श्री रिषी पटेल

-3-



-3-

उपरोक्त विक्रय श्रद्धा प्लोट की भूमि में पथमपक्ष विक्रेता का अन्य कोई तारीख, अंगी हितसेदार या दावेदार नहीं है फिर भी पथमपक्ष विक्रेता के स्वत्व एवं अधिकार की दृष्टि त्रुटि के कारण या किसी की दावेदारी के कारण विक्रय श्रद्धा प्लोट की भूमि सम्पूर्ण या उसका कोई हिस्सा द्वितीय पक्ष क्रेता के आधिपत्य से निकल जावे या नष्ट हो जावे अथवा क्रेता को आज से पूर्व का कोई श्रृंखला पकाया निकलने पर अदा कर डानी उठानी पड़े तो द्वितीयपक्ष क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा जो वे कानूनी कार्यवाही कर तात्कालिक बाजार भाव में कुल विक्रय मूल्य सचय पथमपक्ष विक्रेता से या उनकी अन्य वल व अचल सम्पत्ति को कुर्ब व निगाम करा कर वसूल कर लेवे । उक्त पथमपक्ष विक्रेता का कोई उजर काजिल सामान्यात नहीं होगा ।

उपरोक्त विक्रयश्रद्धा प्लोट की भूमि पर आज दिनांक से पथमपक्ष विक्रेता का, वारिस्तान, उनके दावेदारान, वैध प्रतिनिधियों काकोई भी सम्बन्ध नहीं रहा न भविष्य में रहेगा । अब उक्त प्लोट से पथमपक्ष विक्रेता का कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा ।

उक्त विक्रय श्रद्धा प्लोट का नजरी नक्शा निम्नानुसार है ।

उत्तर-गिरिजा का प्लोट

पर्य पत्ताचिह्न	45 फिट	
रोड 33 फिट	क्रेता श्री रिषी पटेल व श्री देविलास पटेल	पश्चिम-देवीलास पटेल
बोड़ा	जाति कलास निवासी चांतवाड़ा को विक्रय किया	पुत्र गौतमजी पटेल का
	गया प्लोट, बाके प्रयाग पुरा	प्लोट
50 फिट		50 फिट
	45 फिट	

दक्षिण-20 फिट चौड़ा पत्ताचिह्न रोड

30/11/89
12/6/11

मि. लाला



-4-

कार्यालय नगर परिषद्, बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : भू.उ.प./2016-17/५४३।

दिनांक : 17-8-2016

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

(भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं संशोधित नियम 2015 के अन्तर्गत)

राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 2 दिनांक 08/06/2016 के प्रस्ताव संख्या 1 के क्रम संख्या 4 के अनुसार श्रीमती गिरजा देवी पत्नी श्री देवीलाल पटेल के एटोनी श्री देवीलाल पिता गौतमलाल पटेल एवं श्री ऋषि पिता देवीलाल पटेल, जाति कलाल, निवासी मोहन कॉलोनी बांसवाड़ा के मौजा ग्राम श्यामपुरा के आराजी नम्बर 44/2 में स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 4500.00 वर्गफीट अर्थात् 418.04 वर्गमीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- 1) आवेदित भूमि के उत्तर दिशा की तरफ 100 फीट (मध्य से 50 फीट) सड़क का मार्गधिकार छोड़ना होगा।
- 2) प्रचलित भवन विनियम में निर्धारित समस्त मापदण्डों/प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 3) राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों नियमों/उप नियमों की पालना करनी होगी।

जिसका वर्तमान भू-उपयोग वाणिज्यिक है को इस आदेश की तिथि 08/06/2016 से भू-उपयोग परिवर्तन का वाणिज्यिक शुल्क रुपये 13,05,000/-, एक वर्षीय लीज राशि रुपये 65,250/- (वर्ष 2016-17), प्रमाण पत्र शुल्क राशि रुपये 200/-, पुर्नगठन शुल्क 4180/-, कुल राशि रुपये 13,75,630/- (अक्षरे रुपये तेरह लाख पचत्तर हजार छः सौ तीस मात्र) जरिये रसीद संख्या 08/27 दिनांक 8.8.2016 से जमा हो चुकी है। लीज राशि 65,250/- प्रतिवर्ष अनुसार देय रहेगी।

यह आदेश नगर परिषद् बांसवाड़ा की कार्यालय मुहर एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर से जारी किया गया।



आयुक्त एवं सदस्य सचिव
भू-उपयोग परिवर्तन समिति
नगर परिषद्, बांसवाड़ा